अध्याय 9

आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं लेखे

आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं लेखे

9 अध्याय

9-1 Mh Mh , e: vkUrfjd y[kkijh{kk dh iHkko'khyrk ,o n{krk

सदस्य (वित्त) डी डी ए में आन्तरिक लेखापरीक्षा सेल का प्रमुख होता है, जो अन्य कर्मचारियों के अलावा मुख्य लेखा अधिकारी से सहायता लेता है। डी डी ए के पास 213 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थी, जिसमें से 140 इकाईयों की वार्षिक लेखापरीक्षा की जानी थी। वर्ष–वार नियोजित लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां एवं आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयां 2010–11 से 2014–15 के दौरान निम्नलिखित हैं:

rkfydk 17% vkUrfjd y[kkijh{kk }kjk y[kkijhf{kr bdkb dk o"k&okj C;kjk

Øe l-	o"k	y[kkijh{kk ;kX; dy bdkb;k dh l[;k	vulph d vulkj iR;d o"k y[kkijh{kk dh tku okyh bdkb;k dh l[;k	o"k d nkjku y[kkijh{kk d fy, fu;kftr dy bdkb;k dh l[;k	okLro e y[kk ijhf{kr bdkb;k dh l[;k
1	2010-11	213	140	80	80
2	2011-12	213	140	95	95
3	2012-13	213	140	80	88
4	2013-14	213	140	100	104
5	2014-15	213	140	101	98

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वार्षिक रुप से लेखापरीक्षा के लिये नियोजित कुल इकाईयों की संख्या वार्षिक लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या की तुलना में कम थी।

डी डी ए ने बताया (जून/अक्तूबर 2016) कि जनशक्ति की कमी एवं लेखापरीक्षा दलों को विशेष लेखापरीक्षा कार्य दिये जाने के कारण लेखापरीक्षा हेतु कम इकाईयों को चुना गया। खाली पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा में डी डी ए के तीन विंग, अर्थात भूमि प्रबंधन विंग, भूमि विकास/अभियांत्रिकी विंग एवं भूमि निस्तारण विंग में कुछ विशेष कमियां पाई गई जो निम्नलिखित हैं:

भूमि प्रबंधन विंग के तीन अनुभागों जिनके नाम क्षति अनुभाग, क्षति लेखा अनुभाग एवं भूमि प्रबंधन अनुभाग हैं, में वार्षिक लेखापरीक्षा होनी थी। किन्तु 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान यह पाया गया कि भूमि प्रबंधन अनुभाग, क्षति अनुभाग, एवं क्षति लेखा अनुभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा क्रमशः दो बार, तीन बार एवं एक बार हुई।

लेखापरीक्षा ने इन तीन अनुभागों में लंबित पैरों के निपटान की भी समीक्षा की, जिसकी स्थिति निम्न लिखित है:

rkfydk&18 vkUrfjd y[kkijh{kk }kjk cuk; x; y[kkijh{kk ij ,o fuLrkj.k

vuHkkx dk uke	cdk;k ijk dk ikjfEHkd 'k"k	2010&11 l 2014&15 d nkjku cuk; x; uohu ij	2010&11 l 2014&15 d nkjku fuiVk, x; ij	cdk;k ij
Hkfe icU/ku	15	56	शून्य	71
{kfr vuHkkx	16	38	शून्य	54
{kfr y[kk vuHkkx	शून्य	17	शून्य	17

यह भी पाया गया कि महत्वपूर्ण मामले जैसे अदालती मामलों का पता लगाना, सम्पूर्ण भूमि अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन न करना, उपयोगकर्ता विभाग को भूमि का हस्तांतरण न करना, भूमि मुआवजों/परिवर्धित मुआवजे के लेखों का मिलान न करना, महत्वपूर्ण भूमि अभिलेखों का रखरखाव न करना इत्यादि को डी डी ए के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग ने बताया। हालांकि 2010–11 से 2014–15 के दौरान किसी पैरे का निपटान नहीं हुआ जो इसका सूचक है कि डी डी ए ने आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के लिए सुधारात्मक कदम नहीं उठाये।

भूमि विकास एवं भूमि निपटान विंग में लेखापरीक्षा के लिए नियोजित इकाईयां व लेखापरीक्षित इकाईयों, एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतिलिपि की लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित जानकारी मांगी गई। हालांकि, वे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि क्या इन विंगों में आन्तरिक लेखापरीक्षा की जा रही थी।

लेखापरीक्षा मत को स्वीकार करते हुए डी डी ए ने बताया (जून/अक्तूबर 2016) कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार लेखापरीक्षा का न कराया जाना एवं पुराने बकाया पैरों का निस्तारण न हो पाने का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी एवं विशेष लेखापरीक्षा का कार्य दिया जाना था। इसने आगे बताया कि संबंधित विंगों को पत्र एवं उसके पश्चात अनुस्मारक भेजे गये है किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

9.2 Mh Mh , e fjikfVx ,o leUo;

9-2-1 utwy&II dk vk; ,o 0;; [kkrk rFkk rqyu i=

डी डी ए भूमि से संबंधित विभिन्न प्रारूपों में अन्तिम लेखे बना रहा था जैसाकि नीचे वर्णित है:

- utwy&I प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र
- utwy&II प्राप्ति एवं भुगतान खाता
- lkekU; fodkl y[kk& प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय खाता एवं तुलन पत्र

वार्षिक लेखों के रूप में आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र न बनाने के कारण डी डी ए के वार्षिक लेखों में नजूल–II लेखों की वास्तविक वस्तुस्थिति एवं वित्तीय स्थिति प्रकट नहीं होती थी। भारत के सी

एण्ड ए जी द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिए डी डी ए के वार्षिक लेखे पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस मामले को उठाया गया था।

डी डी ए ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुये आश्वासन (जून/अक्तूबर 2016) दिया कि वे समयबद्ध तरीके से नजूल–II लेखों के तुलन पत्र तैयार करेंगे और 31 मार्च 2020 तक नजूल–II लेखों का तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखे तैयार करने में सक्षम होंगे।

9-2-2 Hkwfe vf/kxzg.k ij fd;k x;k [kpZ

डी डी ए भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजे, परिवर्धित मुआवजे, अनुपूरक अवार्ड और न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुर्क की गई राशि के रुप में खर्च करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- भूमि मुआवजे, परिवर्धित मुआवजे एवं माननीय न्यायालय द्वारा मुआवजे से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से कुर्क की गई धनराशि से संबंधित किये गये खर्चों को एकत्रित किया गया एवं एक खाते 'दिल्ली प्रशासन को भुगतान' हेड में दर्ज किया गया। अतः लेखा तंत्र तथा विवरण तीन भिन्न हेडों में उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण एवं किये गये खर्चे की सहज उपलब्धता में सहायक नहीं था।
- डी डी ए द्वारा प्रकाशित वार्षिक लेखे (नजूल–II की प्राप्ति एवं भुगतान लेखे) में 2010 से 2015 की अवधि के लिए अधिग्रहण पर कुल खर्च ₹1304.56 करोड़ था, जबकि इसी समय के लिए डी डी ए के भूमि प्रबंधन लेखे (एल.एम.ए.) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार यह ₹1001.85 करोड़ था। अतः अन्तिम वार्षिक लेखे एवं एल.एम.ए. अनुभाग में बताये गये व्यय में ₹302.71 करोड़ का अन्तर था।
- मासिक आधार पर भूमि अधिग्रहण पर व्यय को एल एम ए अनुभाग एवं रोकड़, मुख्य अनुभाग को सूचित करते थे, किन्तु व्यय के मिलान को नियमित रूप से नहीं किया गया एवं दोनों अनुभागों द्वारा मिलान के प्रमाणपत्र को प्रमाणित नहीं किया गया।

डी डी ए ने बताया (जनवरी 2016) कि एल.एम.ए. अनुभाग द्वारा व्यय की सूचना देते समय अन्तर का कारण माननीय न्यायालयों द्वारा की गई कुर्की धनराशि को शामिल न करना था। इसने आगे बताया (जून/अक्तूबर 2016) कि अवलोकन को अनुपालन के लिए संज्ञान में लिया गया है एवं इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।

9-2-3 Mh Mh , }kjk izkIr Hkwfe

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी डी ए कब्जा कार्यवाही[55] प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली सरकार से ली गई भूमि के भौतिक स्वामित्व के संबंध में मासिक विवरण/एमआईएस बनाता है। 2010–11 एवं 2014–15 के दौरान मासिक विवरण एवं कब्जा कार्यवाही प्रतिवेदनों की जाँच में पाया गया कि:

- दिल्ली सरकार से प्राप्त भूमि के वास्तविक भौतिक स्वामित्व एवं एम.आई.एस. के माध्यम से डी डी ए द्वारा सूचित भूमि के भौतिक स्वामित्व में अन्तर था। जिसका विवरण आगे दिया गया है:

[55] भौतिक स्वामित्व के लिए कार्यवाहियाँ

rkfydk&19 Mh Mh , d dCtk dk;okgh ifronu ,o ,evkbZ,l d vulkj Hkfe dh okLrfod ikflr e o"k&okj vUrj

(Hkfe ,dM e)

o"k	,evkbZ,l e ikIr Hkfe dk Hkkfrd LokfeRo	dCtk dk;okgh ifronu d vulkj okLrfodrk e ikIr Hkfe dk Hkkfrd LokfeRo	dCtk dk;okgh ,o ,evkbZ,l d vulkj okLrfod Hkfe ikflr e vUrj
2010-11	359.69	359.15	0.54
2011-12	329.08	339.54	(-) 10.46
2012-13	844.96	226.52	618.44
2013-14	253.14	252.38	0.76
2014-15	0	0	0
dqy	**1786.87**	**1177.59**	**609.28**

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि डी डी ए द्वारा वास्तव में प्राप्त भूमि एवं एमआईएस के माध्यम से सूचित भूमि के नियमित क्रास–चेकिंग एवं मिलान के लिए कोई तंत्र अस्तित्व में नहीं था।

y[kkijh{kk u vkx ik;k fd

- मई 2011 में अन्तिम संचयी शेष भूमि 76922.93 एकड़ दर्शायी गयी थी जो जून 2011 को प्रारम्भिक शेष भूमि 75692.70 एकड़ में बदल गयी। जो किसी दस्तावेज द्वारा प्रमाणित नहीं था।
- भूमि को बीघा, बिस्वा और बिस्वानी से एकड़ में परिवर्तित और प्रेषण करने में अंकगणितीय गलतियों के उदाहरण[56] थे। इस प्रकार, भूमि की प्राप्ति को सूचित करने की व्यवस्था के साथ–साथ 31 मार्च 2015 तक डी डी ए के पास उपलब्ध भूमि बैंक का वास्तविक परिमाण विश्वसनीय नहीं था।

डी डी ए ने कहा (जून/अक्तूबर 2016) कि वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2013–14 के लिए भूमि की प्राप्ति में विसंगतियों को जनवरी 2016 एवं मार्च 2016 माह के एमआईएस में समायोजित कर दिया गया है। डी डी ए ने आश्वासन दिया कि भविष्य में भूमि की प्राप्ति और निस्तारण को मासिक आधार पर सूचित करने के प्रयास किये जाएंगे। डी डी ए ने आगे यह कहा कि भूमि की संचयी प्राप्ति जून 2011 (वर्ष 2011–12) में 1230.23 एकड़ घट गई थी तथा संबंधित भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों से भूमि के पुनर्मिलान के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करने के बाद वर्ष 2012–13 की अवधि में 618.44 एकड़ की वृद्धि हो गई थी।

यद्यपि, डी डी ए ने लेखापरीक्षा को दिल्ली सरकार के साथ शेष भूमि के समन्वय के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजीय साक्ष्य पेश नहीं किये। इस कारण से, डी डी ए द्वारा भूमि की वास्तविक प्राप्ति तथा डी डी ए की शेष उपलब्ध भूमि के बारे में (अक्तूबर 2016) तक उपयुक्त आश्वासन नहीं मिल सका।

---

56 नवंबर 2013 में, मलिकपुर कोही गाँव में 11.87 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी जिसे 11.74 एकड़ के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इसी प्रकार से दिसंबर 2013 में 0.87 एकड़ (अर्थात 185.81 एकड़–184.94 एकड़) की भूमि को अंकगणितीय/रूपांतरण त्रुटि के कारण अधिकता में प्रतिवेदित किया गया था।

fu"d"k

- प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां थी क्योंकि डी डी ए के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा के लिए नियोजित कुल इकाईयों की संख्या, वार्षिक लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या की तुलना में कम थी।
- भूमि स्टॉक की तुलना में किये गये व्यय का समयपूर्वक मिलान नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप आंकड़ों में अंतर था।

vu'kIk,

- डी डी ए द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा एवं भूमि प्रबंधन में डी डी ए के क्रियाकलापों की प्रभावी आंतरिक निगरानी के लिए एक तंत्र को विकसित एवं लागू करने की आवश्यकता है।